पत्र सं0–1/सी0–1033/2006–का0–7216

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

भगलु रजक,

सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना

निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना ।

पटना–15, दिनांक–13.7.2007

विषयः– राज्य गैर असैनिक सेवा के पदाधिकारियों को चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम–8 (2) तथा भा0प्र0से0 (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1956 के विनियम 8 (3) दिसम्बर, 1997 तक संशोधित के आलोक में ऐसे स्थायी राजपत्रित पदाधिकारी विशेष परिस्थिति में भा0प्र0से0 में चयन द्वारा नियुक्ति के लिए विचारणीय है जो (1) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी नहीं हैं, (2) उत्कृष्ट योग्यता और गुण के हैं, (3) दिनांक 01.01.2007 (एक जनवरी दो हजार सात ई0) को 54 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं है तथा (4) अधिष्ठाई हैसियत में राजपत्रित पद पर लगातार न्यूनतम 8 वर्षो का अनुभव है तथा इस उद्देश्य से वह पद उप–समाहर्ता के समतुल्य घोषित हो, अर्थात कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प सं0–2178, दिनांक 21.4.2001 (प्रति संलग्न) की कंडिका 4 की शर्तों को पूरा करते हैं ।

2. अनुरोध है कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन ऐसे राजपत्रित पदाधिकारियों में से योग्यतम अधिकतम एक पदाधिकारी का निर्वाचन कर निम्नलिखित शर्तों, बंधेजों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए आवश्यक कागजात सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हेतु विचारार्थ प्रस्ताव भेजने की कृपा करें :–

(क) प्रत्येक विभाग में एक चयन समिति गठित की जाय । इस चयन समिति के अध्यक्ष विभागीय प्रधान सचिव/सचिव होंगे तथा उनके अतिरिक्त समिति में दो अन्य सदस्य रहेंगे जिनमें से एक विभागीय प्रधान सचिव/सचिव द्वारा ही मनोनीत किसी अन्य विभाग के अपर सचिव या उच्चतर स्तर के पदाधिकारी होंगे तथा उनके विभागाधीन कोई विभागाध्यक्ष होंगे, यदि कोई हो तो अन्यथा विभाग के ही कोई वरीय पदाधिकारी होंगे,

(ख) अनुशंसित पदाधिकारी नियमानुसार अवश्य ही उत्कृष्ट योग्यता एवं गुण के हों तथा उनके विरूद्ध कोई प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप नहीं हो,

(ग) पदाधिकारियों का सेवा–इतिहास स्पष्टतः अंकित करते हुए अलग पृष्ठ (sheet) पर संलग्न किया जाय,

(घ) उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों की विवरणी प्रतिवेदन, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकारी– ग्रेडिंग सहित तैयार कर अलग शीट पर संलग्न किया जाय, साथ ही चरित्र–पुस्तियॉ अद्यतन मूल रूप में संलग्न की जायं ।

(ङ) पदाधिकारियों के विरूद्ध लंबित विभागीय आरोप, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तथा लोकायुक्त कार्यालय के यहाँ मामला लंबित नहीं रहने का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाए ताकि पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र स्वीकारना संभव हो सके,

(च) संलग्न प्रपत्र में अन्य सूचनाओं के साथ पदाधिकारी की जन्म तिथि (अंको एवं अक्षरों दोनों में) सम्पुष्टि की तिथि, वर्त्तगान पद का नाग, वेतनमान एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के यदि हों तो इसे स्पष्टतः अंकित किया जाय,

(छ) पदाधिकारियों के पूर्व पदस्थापन विवरणी, वेतनमान सहित भी संलग्न किया जाय,

(ज) पदाधिकारियों का मनोनयन उनका पैतृक विभाग ही कर सकता है,

(झ) चयन समिति की कार्यवाही की मूल प्रति, अभिप्रमाणित छाया प्रति मनोनयन पत्र के साथ अवश्य संलग्न की जायं । चयन समिति की अनुशंसा पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तथा पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहे कि चयन समिति की अनुशंसा पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने पर प्राप्त अनुशंसा विचारणीय नहीं होगी।

(ट) कंडिका–2 में वर्णित शर्त्तों एवं बंधेजों के आलोक में अनुशंसा के साथ सभी आवश्यक सूचनायें एवं कागजात संलग्न किये जायं । किसी सूचना/कागजात के अभाव में प्राप्त मनोनयन विचारणीय नहीं होगा और न उनके लिए कोई पत्राचार किया जायेगा ।

3. इस विभाग में अनुशंसा प्राप्त होने की अंतिम तिथि इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से तीस दिनों की है । उक्त तिथि तक कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं होने पर यह माना जायगा कि आपके विभाग की कोई अनुशंसा नहीं है ।

विश्वासभाजन,

13.11.2007

(भगलु रजक)
सरकार के संयुक्त सचिव